

वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन किये जाने का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बरेली में बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (एन0एच0-24) के किमी0 244-245 के चैनेज 244.500 से 244.530, ग्राम नरियावल, तहसील व जिला बरेली पर कॉम्पीटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स द्वारा विकसित किये जा रहे इन्टरनेशनल सिटी पर सम्पर्क मार्ग कार्य हेतु 0.097035 हे0 संरक्षित वन भूमि वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग, सम्पर्क मार्ग कार्य हेतु आवेदित वन भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

उल्लंघन करने वाली संस्था/कम्पनी का नाम/पद तथा पता- पार्टनर, कॉम्पीटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स, पी-06/14जी, दीन दयाल पुरम, बरेली।

उल्लंघन का प्रकार- सम्पर्क मार्ग का पक्का निर्माण कार्य

उल्लंघन कब से है- वर्ष 2016

उल्लंघन से प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल- 0.097035 हे०

उल्लंघन के लिये जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ की गयी कार्यवाही का विवरण-
उल्लंघन का प्रकरण प्रकाश में आते ही सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा विधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी एवं उल्लंघन को समाप्त करा दिया गया। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

वर्तमान में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन की स्थिति- सम्पर्क मार्ग क्षेत्रफल 0.097035 हे0 संरक्षित वन भूमि में किया गया निर्माण कार्य को ध्वस्त कर उल्लंघन को समाप्त किया गया है।

Competent Builders & Developers


(बिपिन कुमार) Partner
पार्टनर
कॉम्पीटेन्ट बिल्डर्स एंड डेवेलपर्स


भारत लाल
प्रभागीय वनाधिकारी
वन एवं वन्य जीव प्रभाग, बरेली